यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रुड़की के माह 09/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री लक्ष्मण सिंह,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारीएवं श्री अंकित पाण्डेय,वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29/07/2020 से 11/08/2020 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस खंड की पूर्व लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री लक्ष्मण सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सत्यबीर सिंह,लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12/09/2019 से 23/09/2019 तक श्री विभास चन्द्र मुखर्जी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई एवं लेखापरीक्षा में माह 09/2018 से 08/2019 तक के लेखों की लेखा परीक्षा संपादित की गई थी।

(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रुड़की** के अंतर्गत जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के अन्तर्गत होने वाले सड़क एव सेतु के नव निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)		बचत/समर्पण (-)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2018-19	-	-	534.72	534.55	3953.39	3939.08	-	-	0.17	14.31
2019-20	-	-	-	-	5699.40	4690.03	-	-		1009.27
2020-21 (upto Jul 20)	-	-	-	-	1146.80	718.41				

टिप्पणी: (i) *वर्षांत में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाती है।*

(ii)खंड द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019-20 से IFMS लागू होने के उपरांत स्थापना मद में प्राप्त आवंटन का सही आँकड़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)	बचत(-)
2018-19	-	-	-	-	-	-
2019-20	जनपद हरिद्वार में नारसन हटजौली मुडताड़ा, लडौरा, जौटानी, बुड्ढाहेड़ी बठेडी राजपूताना तक मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृड़ीकरण	0	550	50	-	500
2020-21 (07/20 तक)	-	-	-	-	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए **इकाई "A" श्रेणी** की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,रुड़की

2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रुड़की** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रुड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह**02/2020** को विस्तृत जांच हेतु एवं **पुहाना इकबालपुर झबरेड़ा गुरुकुल नारसन मार्ग का एसडीबीसी से नवीनीकरण कार्य (एसएच-28)**को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में खंड का **निरीक्षण नहीं**किया गया।

5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **03/2020** तथा **09/2019** तक की गई।

6. फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs679.00
भाग द्वितीय Rs (-)18227.00
खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2020 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	`124263.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन शून्य	
(घ)	निक्षेप	`28810630.00
(ङ)	भण्डार	`418119.00

भाग II –'ब'

प्रस्तर 1 : ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि `410539 /-की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए।लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की चयनित माह (फरवरी 2020) की रोकड़ बही एवं बिल/वाऊचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौतियाँ नहीं की गयी थी जबकि ठेकेदारों द्वारा उक्त कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष कोई भी आवश्यक प्रपत्र (Form J or MM-11) उपलब्ध नहीं करवाए गए: - (रु में)

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	वाऊचर संख्या/माह	आगणित रॉयल्टी की धनराशि	वसूली/काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि	कम काटी गयी धनराशि
1.	M/s Akshya Const. & Co.	11/Feb 20	7246.00	0.00	7246.00
2.	M/s Himalayan Construction	14 & 100 of Feb 2020	26671.00	0.00	26671.00
3.	M/s JP Construction	20 / Feb 20	7657.00	0.00	7657.00
4.	M/s Shamim Contractor	44/ Feb 20	18951.00	0.00	18951.00
5.	M/s Sameem Co.	45/ Feb 20	29843.00	0.00	29843.00
6.	M/s Shamim Contractor	46/ Feb 20	34405.00	0.00	34405.00
7.	M/s Sriram Co.	47/Feb 20	21765.00	0.00	21765.00
8.	M/s Pankaj Kumar	98/Feb 20	42462.00	0.00	42462.00
9.	M/s Illiyas	99/Feb 20	877.00	0.00	877.00
10.	M/s Noorani Enterprises	110/Feb 20	220662.00	0.00	220662.00
		Total =	**410539.00**	**0.00**	**410539.00**

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी के साक्ष्य के रूप में लगाए गए फॉर्म-J की जांच कर शीघ्र वसूली की कार्यवाही कर ली जाएगी।

अतः ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि `410539 /- की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 02 बगैर उचित कार्य योजना के कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण निष्फल व्यय ` 130.44 लाख ।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अंतर्गत पठानपुरा से आदर्श नगर तक नाला निर्माण कार्य, विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा मे रुड़की के कृष्णानगर मुख्य गली मे गली संख्या 15 के प्रवेश द्वार से गली संख्या 20 के प्रवेश द्वार की ओर नाला निर्माण एवं विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के ग्राम बेलड़ा मे मेनपाल के घर से बट वृक्ष देवस्थान की ओर नाला निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त स्वीकृतियों का निम्न प्रकार प्रदान की गयी थी-

कार्य का नाम	**प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि एवं माह/वर्ष**	**तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं माह/वर्ष**	**लंबाई जिसमे नाला निर्माण किया जाना था।**
राज्य योजना वर्ष 2017-18 के अंतर्गत पठानपुरा से आदर्श नगर तक नाला निर्माण	जून/2017 ` 206.92 लाख	मार्च/2018 `206.92 लाख	1200 मीटर
राज्य योजना 2013-14 के अंतर्गत रुड़की के कृष्णानगर मुख्य गली मे गली संख्या 15 के प्रवेश द्वार से गली संख्या 20 के प्रवेश द्वार की ओर नाला निर्माण	फरवरी/2014 ` 29.35 लाख	मार्च/2014 ` 29.35 लाख	450 मीटर
विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के ग्राम बेलड़ा मे मेनपाल के घर से बट वृक्ष देवस्थान की ओर नाला निर्माण कार्य	जून/2015 राशि `96.87 लाख	07/2016 ` 96.87 लाख	840 मीटर
योग- स्वीकृत राशि एवं लंबाई	`333.14 लाख	`333.14 लाख	2400 मीटर

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग रुड़की मे उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि-

1) राज्य योजना वर्ष 2017-18 के अंतर्गत पठानपुरा से आदर्श नगर तक नाला निर्माण कार्य हेतु गठित अनुबंध लागत ` 152.54 लाख का गठित किया गया जिसके अंतर्गत कार्य समाप्ति

की तिथि दिनांक 22.03.19 थी, के सापेक्ष संप्रेक्षा अवधि (जुलाई/2020) तक ` 72.11 लाख के व्यय के उपरांत 1200 मीटर के सापेक्ष मात्र 750 मीटर नाले का निर्माण ही किया गया था।आगे अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य हेतु नाले की खुदाई से निकली मिट्टी के निस्तारण, निरंतर डी वाटरिंग क्योंकि पूर्व स्थित कच्चे नाले के कारण जल का निरंतर प्रवाह हो रहा था एवं अतिरिक्त मिट्टी भरान हेतु खंडीय स्तर पर अतिरिक्त मदों का प्रस्ताव खंडीय स्तर पर प्रेषित किए जाने पर अधीक्षण अभियंता द्वारा इसे विस्तृत आगणन मे कमी बताया था।

2. रुड़की के कृष्णानगर मुख्य गली मे गली संख्या 15 के प्रवेश द्वार से गली संख्या 20 के प्रवेश द्वार की ओर नाला निर्माण हेतु अनुबंध जिसकी लागत ` 27.66 लाख एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 16.10.18 के सापेक्ष ` 12.50 लाख व्यय के उपरांत नाले का ढलान ठीक न होने, पानी कि उचित निकासी न होने एवं नाला निर्माण का कोई लाभ निवासियों को नहीं होने जिसके कारण स्थानीय निवासियों द्वारा भी जिलाधिकारी को अवगत कराते बताया गया था कि उक्त नाले के निर्माण से भविष्य मे और बड़ी समस्या होगी एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि नाले निर्माण का दोबारा सर्वे कराया जाना आवश्यक है।

   जिसके संबंध मे नगर निगम रुड़की द्वारा खंड को अवगत कराये जाने एवं उक्त बिन्दुओ का संज्ञान लिए बगैर खंडीय स्तर पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण कार्य विवादित होने के कारण अपूर्ण था एवं उक्त व्यय राशि निष्फल रही थी।

3. विधान सभा क्षेत्र पिरान कलियर के ग्राम बेलड़ा मे मेनपाल के घर से बट वृक्ष देवस्थान की ओर नाला निर्माण कार्य हेतु गठित अनुबंध जो कि पाँच अन्य कार्यो समेत ` 364.06 लाख का गठित किया गया था एवं जिसमे उक्त कार्य हेतु अनुबंध मे प्रावधानित मदों की लागत ` 96.87 लाख के साथ कार्य दिनांक 9.10.17 तक पूर्ण किए जाने थे परंतु अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य पर संप्रेक्षा अवधि तक मात्र ` 10.34 लाख का व्यय के उपरांत न केवल ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य आधे अधूरे एवं अधोमानक थे बल्कि फार्म 64 एवं मासिक प्रगति आख्या के अनुसार कार्य पर ` 45.83 लाख का व्यय प्रदर्शित हो रहा था जिसके कारण उक्त व्यय राशि निष्फल रही थी।

   उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 के अनुसार उपरोक्त तीनों कार्यो पर कुल ` 130.44 लाख के व्यय के उपरांत अभिलेखो के अनुसार कार्य मदों का निष्पादन या तो आधा अधूरा था या कार्य विवादित होने के कारण उपरोक्त इंगित तीनों कार्यो पर व्यय राशि निष्फल रही थी। उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि रुड़की के कृष्णानगर मुख्य गली मे गली संख्या 15 के प्रवेश द्वार से गली संख्या 20 के प्रवेश द्वार की ओर नाला निर्माणकार्य स्थानीय जनता से विवाद के कारण रुका हुआ है एवं विभाग नाले की कुल वास्तविक लंबाई 1098 मीटर के सापेक्ष केवल 450 मीटर मे ही नाले का निर्माण कर सकता है, पठानपुरा से आदर्शनगर तक नाला निर्माण कार्य मे 1200 मीटर के सापेक्ष 750 मीटर मे नाला निर्माण किया जा चुका है एवं कार्यस्थल की विशिष्ट स्थिति एवं निर्माण के दौरान

परिलक्षित हुई कमियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य मे विलंब स्वावभाविक है एवं आगणन गठन के समय निर्माण के दौरान सम्मुख आयी परेशानी का आकलन किया जाना संभव नहीं था एवं ग्राम बेलड़ा मे मैनपाल के घर से बात वृक्ष देवस्थान की ओर नाला निर्माण कार्य मे अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को निर्देश दिया गया है तथा देयक एवं फार्म 64 मे प्रदर्शित राशि के अंतर के निराकरन हेतु अभिलेखो की जांच कर जांच आख्या लेखा परीक्षा को प्रेषित किए जाएँगे।
खंड के उत्तर से स्पष्ट था कि खंड द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने के पूर्व ही निर्माण कार्य मे आने वाली बाधाओ का आंकलन एवं सर्वे इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण कर ली होती तो उक्त निर्माण कार्यो मे व्यय राशि निष्फल न रही होती।
प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग II –'ब'

प्रस्तर 03: कूटरचित एवं कालातीत e-फॉर्म "J" प्रस्तुत करने पर ठेकेदारों को धनराशि `71491/- की रॉयल्टी की छूट दिया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या 1578/VII-1/158-ख/04 टीसी-II दिनाँक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के विदोहन, अभिवहन एवं विपणन के आँकड़ों तथा राजस्व प्राप्ति के नियमित अनुश्रवण के उद्देश्य से शासन द्वारा उप-खनिजों के अभिवहन हेतु 01 अक्तूबर 2016 से ई-ट्रांसिट पास (ई-रवन्ना) लागू किए गए थे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की चयनित माह (फरवरी 2020) के बिल/वाऊचरों में प्रस्तुत ठेकेदारों के बिलों में संलग्न संबन्धित निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए e-परिवहन प्रपत्र (फॉर्म J) की नमूना जांच में निम्नलिखित ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपखनिजों के e-परिवहन पास संदिग्ध पाये गए। उपरोक्त e-परिवहन प्रपत्रों के QR Code के स्कैन करने परe-परिवहन प्रपत्र कूटरचित पाये गए। इसके अतिरिक्त कुछ ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारम्भ/अनुबन्ध गठित होने के 3 माह से भी अधिक समय पुराने प्रपत्रों के आधार पर भी रॉयल्टी की छूट प्राप्त की गयी थी। (विवरण संलग्नक में अंकित किया गया है)। उक्त कूटरचित/अमान्य e-परिवहन प्रपत्रों के सापेक्ष खण्ड द्वारा ठेकेदारों को `71491/-की रॉयल्टी की छूट प्रदान की गयी।

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	वाऊचर संख्या/माह	आगणित उपखनिज की मात्रा	छूट दी गयी रॉयल्टी की धनराशि (रु)	टिप्पणी
1.	M/s MM Contractor	05/ Feb 20	47.27	7280	Manipulated Form"J"
2.	M/s KP Contractor	67/Feb 20	30.64	4719	
3.	M/s KP Contractor	68/Feb 20	26.75	4120	
4.	M/s KP Contractor	69/Feb 20	27.55	4243	
5.	M/s Shiva Contractor	70/Feb 20	11.85	1825	
6.	M/s Shiva Contractor	71/Feb 20	21.77	3353	
7.	M/s Shahjaad Khan	43/Feb 20	298.38	45951	More than 03 months old Forms
			Total =	**71491.00**	

अन्य ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों में भी कूटरचित e-परिवहन प्रपत्रों के माध्यम से रॉयल्टी की छूट पाये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि राजकीय ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु उपखनिज समयानुसार एकत्रित कर किया जाता है जिसका उपयोग उनके द्वारा बचत अनुसार किसी भी कार्य में कर दिया जाता है। कूटरचित पाये गए गए रॉयल्टी प्रपत्रों के बारे में जांच के उपरांत वसूली की जाएगी तथा भविष्य में भी इसका संज्ञान लिया जाएगा।

खंड के उत्तर से स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त प्रख्यात नियमावली के अनुसार उपखनिजों के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है जो कि संबन्धित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः कूटरचित एवं कालातीत e-फॉर्म "J" प्रस्तुत करने पर ठेकेदारों को धनराशि `71491/- की रॉयल्टी की छूट दिये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/ वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग दो – अ	भाग दो – ब
1	29/2010-11	1	-
2	34/2011-12	2	-
3	35/2015-16	1	1,2,3,4,6
4	43/2016-17	1	1,2
5	36/2017-18	1	-
6	51/2018-19	0	1,2,3
7	57/2019-20	0	1,2,3,4,

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रस्तरों में से प्रतिवेदन संख्या 57/2019-20 के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर ली जाएगी। प्रस्तरों के निस्तारण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग,रुड़की, जनपद – हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

- **शून्य -**

2. सतत् अनियमितताएः

- शून्य -

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	पदनाम	अवधि
श्री सत्यवीर सिंह त्यागी	अधिशासी अभियंता	10.03.2019 से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एस जी पाठक	वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी	09.08.2019 से 03.11.2019 तक
श्री ब्रह्मदत्त जोशी	खंडीय लेखाधिकारी –I	04.11.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रुड़की, जनपद – हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (AMG-II) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)

DETAILS OF E-FORM "J" :CONSTRUCTION DIVISION ROORKEE

As per Form 'J' submitted by Contractor						Post QR Code Scanning of Documents				
S.No.	Form No.	Date of Issue	Valid upto	Qty (Ton)	Vehicle Details	Form No.	Date of Issue	Valid upto	Qty(Ton)	Vehicle Details
1.	IJ1141300736	11/05/19	12/05/19	15/SAND	UK08Q6745	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
2.	IJ1141300968	15/05/19	16/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
3.	IJ1141300958	14/05/19	15/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
4.	IJ1141300948	13/05/19	14/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
5.	IJ1141300938	12/05/19	13/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
6.	IJ1141300893	09/05/19	10/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
7.	IJ1141300928	11/05/19	12/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
8.	IJ1141300699	07/05/19	08/05/19	15/SAND	UK08Q6745	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
9.	IJ1141300712	08/05/19	09/05/19	15/SAND	UK08Q6745	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
10.	IJ1141300968*	15/05/19	16/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
11.	IJ1141300720	09/05/19	10/05/19	15/SAND	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
12.	IJ1141300736	11/05/19	12/05/19	15/SAND	UK08Q6745	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
13.	IJ1141300958	14/05/19	15/05/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
14.	IJ1141300730	10/05/19	11/05/19	15/SAND	UK08Q6745	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
15.	IJ1141301521	24/06/19	25/06/19	15/SAND	UK08C1215	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
16.	IJ1141301426	24/06/19	25/06/19	15/SAND	UK08Q4356	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
17.	IJ1141301416	23/06/19	24/06/19	15/GRIT	UK08Q4356	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
18.	IJ1141301561	27/06/19	28/06/19	15/SAND	UK08C1215	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
19.	IJ1141301516	29/06/19	30/06/19	15/GRIT	UK08Q4356	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
20.	IJ1141301245	10/06/19	11/06/19	15/GRIT	UK08Q4356	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
21.	IJ1141301112	01/06/19	02/06/19	15/GRIT	UK08Q4356	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
22.	IJ1141300833	10/06/19	11/06/19	15/GRIT	UK08Q3456	IJ00607000582	17/12/17	17/12/17	6/DUST	UK17CA0983
23.	IJ11413002985	27/06/19	28/06/19	15/SAND	UK08C8786	All Form "J" are more than 03 months old from date of commencement of work & are not being scanned properly by QR Code scanner.				
24.	IJ1141300991	19/07/19	19/07/19	15/SAND	UK08Q3456					
25.	IJ1141300843	11/06/19	12/06/19	15/GRIT	UK08Q3456					
26.	IJ1141300863	03/06/19	04/06/19	15/GRIT	UK08Q3456					
27.	IJ1141300823	09/06/19	10/06/19	15/GRIT	UK08Q3456					